न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 13 / 2025 **दायर दिनांकः 03.03.2025**

उनवान

1. शीला गुर्जर आयु 28 वर्ष पुत्री मथुरालाल जाति गुर्जर निवासी मोटुका हाल मुकाम धाकड बस्ती तेजगढ जिला बांरा (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 09.06.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल मोटुका तहसील अटरू में खाता सं. 41 के खसरा नं. 164 का रकबा 0.16 हे0, खसरा नं. 83 का रकबा 0.30 हे० कुल किता 2 का रकबा 0.46 हे0 आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से शीला गुर्जर के स्थान पर सीमाबाई अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीया का सही नाम शीला गुर्जर है जो कि उसके आधार कार्ड जन आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक पास बुक आदि दस्तावेजो में भी रामलाल नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत बमोरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी शीला गुर्जर नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम सीमाबाई के स्थान पर शीला गुर्जर दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से प्रार्थीया का नाम शीला गुर्जर है जमाबंन्दी में सीमाबाई कर देने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना

पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल मोटुका पटवार हल्का बमोरी तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल मोटुका तहसील अटरू में खाता सं. 41 के खसरा नं. 164 का रकबा 0.16 हे०, खसरा नं. 83 का रकबा 0.30 हे० कुल किता 2 का रकबा 0.46 हे0 आराजी में प्रार्थीया का नाम शीला गुर्जर दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1134 दिनांक 25.04.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोटूका सम्वत 2071–74 खाता संख्या 41, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्राम पंचायत बमोरी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र साक्ष्य गवाहान मोहनलाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी मोटूका हाल मुकाम अटरू व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 ग्राम मोटूका खाता संख्या 41 में सहखातेदार मोहनलाल पुत्र रामनारायण ने सीमाबाई का सही नाम शीला होना बताया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य गवाहान तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मोटुका तहसील अटरू में खाता सं. 41 के खसरा नं. 164 का रकबा 0.16 हे0, खसरा नं. 83 का रकबा 0.30 हे० कुल किता 2 का रकबा 0.46 हे0 आराजी में सहखातेदार सीमाबाई पुत्री मथूरालाल के स्थान पर शीला गुर्जर पुत्री मथूरालाल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां